29-914

53

न्यायालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर म0प्र0

:–ज्ञापन–:

क्रमांक/निग0/245/अ–19 वर्ष 2007–08 सागर, दिनांक –09–2014

प्रति,

विविध 3519-II/14

सचिव
राजस्व मण्डल
ग्वालियर म0प्र0

विषयः– निगरानी प्रकरण क्रमांक 245/अ–19 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09–07–2012 को पुर्नविलोकन में लिए जाने की अनुमति बावत्।

विषयान्तर्गत इस न्यायालय का निगरानी प्रकरण क्रमांक 245/अ–19 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09–07–2012 पक्षकार संतोष एवं अन्य चार विरूद्ध पूरन एवं अन्य 11 मूलतः संलग्न प्रेषित है। माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 1716/12/37/2014 की भोपाल में हुई खुली सुनवाई के दौरान उपरोक्त प्रकरण में तीन माह के अन्दर पुर्नविचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। अतएव कृपया प्रकरण में पुर्नविलोकन की अनुमति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः– न्याया0 कमिश्नर सागर संभाग, सागर
का निगरानी प्रकरण कमांक 245/अ–19 वर्ष 2007–08
पक्षकार संतोष एवं अन्य चार
विरूद्ध
पूरन एवं अन्य 11

(योगेन्द्र शर्मा)
कमिश्नर,
सागर संभाग, सागर

पृ0क्र0/निग0/245/अ–19 वर्ष 2007–08 सागर, दिनांक –09–2014

प्रतिलिपिः–
रजिस्ट्रार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन ब्लाक सी.जी.पी. ओ. काम्पलेक्स आई.एन.ए. नई दिल्ली की ओर उपरोक्त तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

कमिश्नर,
सागर संभाग, सागर

D:\all files\Rajasv mandal gw.doc

FAX NO. : 07582228087

FROM : COMM SAGAR#M-

XXXIX(a)BR(H)-11

(18)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक विविध 3519—एक / 14

जिला — सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12—2—15	आवेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे एवं अनावेदक क0 1 से 3 एवं 5 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. डी. शर्मा उपस्थित । उभयपक्षों को प्रकरण में पुनरावलोकन की अनुमति के विंदु पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया । किन आधारों पर पुनरावलोकन की अनुमति चाही जा रही है, इसका कोई उल्लेख आयुक्त द्वारा नहीं किया गया है । अतः पुनरावलोकन का अनुरोध अमान्य किया जाता है । यदि प्रकरण में पुनरावलोकन आवश्यक है तो इस संबंध विस्तृत जाच करे पुनरावलोकन के आधारों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर भेजने हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतंत्र है । प्रशा0 सदस्य	